फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़

कम्पो उर्फ कम्पूरी बनाम ग्राम पंचायत रामबास

प्रा. पत्र 212 आर.टी.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
11.09.2017	आज यह प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट सायल के वकील द्वारा अपील के साथ पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। हमने वकील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सूविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.10.2017 तक पाबन्द किया जाता हैं कि विवादित इन्तकाल सं0 1257 वाके ग्राम रामबास त0 गोविन्दगढ में अंकित आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई एतराज हो तो नियत दिनांक को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावें। आदेश जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जर्ये कोर्ट नोटिस तलब कर दिनांक 30.10.17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)	
30.10.17	पत्रावली पेश हुई। [illegible] गैरसायल 1,3 की तामील हो चुकी है। गैरसायल नं.-2 की [illegible] U.T. [illegible] पत्रावली [illegible] बाबत 13/12/17 को पेश हो।	[illegible] 21/2/18
13/12/17	पत्रावली पेश हुई। सायल [illegible] गैरसायल 1,3 [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] 2 [illegible] पेश [illegible] पत्रावली [illegible] गैरसायल-2 दिनांक 21-2-18 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

…लय ……उपखण्ड अधिकारी……मुकाम……गोविन्दगढ़ (अलवर)……

……कम्मो उर्फ कम्मूरी……बनाम……ग्रा० पं० समदाय……

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
	11.12.23 ……वकील प्रार्थी……अनुपस्थित साबिक आदेश दिनांक…………… की पालना में पत्रावली वास्ते……जवाब SO दिनांक…05.1.24…को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
	05.1.24 ……वकील प्रार्थी……अनुपस्थित साबिक आदेश दिनांक…………… की पालना में पत्रावली वास्ते……जवाब SO दिनांक…08.2.24…को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
08.2.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील व उनके प्रार्थी को बार-बार आवाज दिलायी गई। साय: 5:00 बजे तक इन्तजार किया गया। इसके बावजूद कोई उपस्थित नहीं आया। अत: प्रार्थना पत्र वकील व उनके प्रार्थी की अदम हाजिरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	